



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 831 राँची, मंगलवार 3 अग्रहायण, 1937 (श०)
24 नवम्बर, 2015 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

20 नवम्बर, 2015

विषय:- 50.00 लाख (पचास लाख) रूपये से अधिक लागत की योजनाओं के अनुश्रवण हेतु सर्वश्री झारखण्ड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड, राँची (JUIDCO Ltd., Ranchi) को राज्यस्तरीय नोडल संस्था अधिसूचित करने के संबंध में।

संख्या-5/न.वि./जला.-11/2014-4277-- नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में समय-समय पर विकास योजनाएँ स्वीकृत की जाती हैं एवं इसके लिए राशि भी उपलब्ध करायी जाती है ।

2. विभागीय स्तर पर समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि राज्य के विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में स्वीकृत की गई योजनाओं का सम्यक् अनुश्रवण कर्मियों की कमी के फलस्वरूप विभागीय स्तर से नहीं हो पा रहा है, जिसके फलस्वरूप इन योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति अत्यंत दयनीय है।

3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में जहाँ एक ओर विभागीय उपलब्धि प्रभावित हो रही है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय निवासियों को इन योजनाओं का लाभ ससमय नहीं मिल पाता है तथा योजनाओं की लागत राशि में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है।

4. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सर्वश्री झारखण्ड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड, राँची (JUIDCO Ltd., Ranchi) को स्वीकृत की गई 50.00 लाख (पचास लाख रुपये) से अधिक लागत की योजनाओं के अनुश्रवण हेतु राज्यस्तरीय नोडल संस्था के रूप में अधिसूचित किया जाता है।

5. सर्वश्री JUIDCO Ltd., Ranchi के द्वारा प्रत्येक माह अवयववार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन संबंधित शहरी स्थानीय निकायों से प्राप्त कर विभाग को समर्पित किया जायेगा। इस क्रम में जुडको लि०, राँची के द्वारा कार्य योजना के अनुरूप परिकल्पित प्रगति की समीक्षा करते हुए समीक्षात्मक प्रतिवेदन भी दिया जायेगा ।

6. इस कार्य हेतु JUIDCO Ltd., Ranchi को समय-समय पर अधियाचना के आधार पर आवश्यक राशि नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
अरूण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव ।
